भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1096

(जिसका उत्तर सोमवार, 8 फरवरी, 2021/19 माघ, 1942 (शक) को दिया गया)

कंपनी फ्रेश स्टार्ट योजना

1096. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवतीः
श्री अदला प्रभाकर रेड्डीः
श्री संजय काका पाटीलः
श्री पी.वी. मिधुन रेड्डीः
श्री कुरुवा गोरांतला माधवः
श्री एन. रेड्डप्पः
श्री टी.आर.वी.एस. रमेशः
श्री श्रीधर कोटागिरीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए कोई कंपनी फ्रेश स्टार्ट योजना शुरू की है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने वाली कंपनियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)**

(क) से (ग): जी, हाँ। सरकार ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) में दिनांक 30.03.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 12/2020 के माध्यम से कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, (सीएफएसएस) 2020 की शुरूआत की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कंपनियों को चूक की अवधि पर ध्यान न देते हुए फाइलिंग सुधारने और एक पूर्णतः अनुपालनकर्ता ऐन्टीटी के रूप में फ्रेश स्टार्ट करने का अवसर प्रदान करती है। स्कीम विलम्बित दस्तावेजों के देरी से फाइलिंग का परिशमन प्रदान करती है और ऐसे दस्तावेजों के देरी से फाइल करने के कारण अभियोजनों और जुर्माना थोपने की प्रक्रिया से बचाव करती है। 01 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2020 की अवधि के विलम्बन काल के दौरान एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल किए जाने वाले दस्तावेज और विवरणी आदि को देरी से फाइल करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया गया। रिकार्ड के अनुसार, 473131 भारतीय कंपनियों और 1065 विदेशी कंपनियों ने अपने विलम्बित दस्तावेजों को फाइल करने के लिए सीएफएसएस, 2020 स्कीम का लाभ उठाया। स्कीम का लाभ लेने वाली कंपनियों की संख्या राज्य-वार/संघ राज्य-वार अनुलग्नक (क) में दिया गयी हैं।

****

अनुलग्नक क

दिनांक 08.02.2021 को उत्तर दिए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1096 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

स्कीम का लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियों की संख्या राज्य-वार/संघ राज्य-वार निम्न प्रकार से :

क्रं. संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	स्कीम का लाभ लेने वाली कंपनियों की संख्या	स्कीम का लाभ लेने वाली विदेशी कंपनियों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार	137	विदेशी कंपनियों को केवल दिल्ली में रजिस्टर किया जाता है
2.	आंध्र प्रदेश	5811	
3.	अरुणाचल प्रदेश	102	
4.	असम	2849	
5.	बिहार	6299	
6.	चंडीगढ़	2689	
7.	छत्तीसगढ़	3501	
8.	दादर एवं नगर हवेली	224	
9.	दमन एवं दीव	142	
10.	दिल्ली	87690	1065
11.	गोवा	1765	
12.	गुजरात	31504	
13.	हरियाणा	14504	
14.	हिमाचल प्रदेश	1253	
15.	जम्मू और कश्मीर	1153	
16.	झारखंड	3330	
17.	कर्नाटक	29891	
18.	केरल	15340	
19.	लद्दाख	8	
20.	लक्षद्वीप	7	
21.	मध्य प्रदेश	10207	
22.	महाराष्ट्र	88278	
23.	मणिपुर	222	
24.	मेघालय	284	
25.	मिज़ोरम	33	
26.	नागालैंड	69	
27.	ओडिशा	5065	
28.	पुदुचेरी	424	
29.	पंजाब	6897	
30.	राजस्थान	17041	
31.	तमिलनाडु	27454	
32.	तेलंगाना	22548	
33.	त्रिपुरा	130	
34.	उत्तर प्रदेश	27749	
35.	उत्तराखण्ड	2245	
36.	पश्चिम बंगाल	56286	
37.	कुल	473131	1065